

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

इस योजना में पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत का राजपत्र भाग - II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/ भाद्व 23, 1928

५
वन मंडल अधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
 असाधारण
 EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

1067
 0671

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2006/साद्र 23, 1928
 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BIHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संवर्धित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अगिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके राक्षम पर्यावरणीय समाधानों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्वहन और प्रतिषेध अधिवेष्टित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उपर ललितखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी अपेक्षाओं और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर लिया है ।

अनुसूची

(परा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रयोग		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना एरवैस्टज खनन	< 50 है0रेयर ≥ 5 है0रेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है नरेश कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है नरेश कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे0बा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) $< 50 \geq 25$ मे0बा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और मेथान गैस आधारित) ≥ 500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/मेथान एवं गैस आधारित) < 500 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन) < 50 मे.वा ≥ 5 मे.वा.	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी। (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

[भाग II - खण्ड 3(1)]

भारत का गणपति : स्वयंसेवक

अनुसूची

(धारा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		सर्वे, यदि कोई हो
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन (निर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1(क)	खनिज का खनन	खनन प्रस्ताव क्षेत्र का ≥ 50 हे० कि०मी० भी खनन क्षेत्र का व्यापक दिग् बिना एंश्वरताप खनन	< 50 हे०प्र० ≥ 5 हे०प्र०पर खनन प्रस्ताव क्षेत्र	आवापता सर्वे लागू क्षेत्रीय खनिज पदार्थों को प्रदेवत निम्नलिखित विधि में की जा चुक है यदि वे नहीं हैं तो खनिज संसाधन को दिग् प्रदेवत क्षेत्रों को पूर्व अनुमति दी गई है
1(ख)	अन्योन्य और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		खोज - कार्य (अन्योन्य क्षेत्रों में ही) को प्रदेवत दी गई है यदि वे नहीं हैं तो खनिज संसाधन को दिग् प्रदेवत क्षेत्रों को पूर्व अनुमति दी गई है
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हे०प्र० की गोचर क्षमता क्षेत्र	(i) < 50 ≥ 25 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हे०प्र० की गोचर क्षमता क्षेत्र	विशेष सर्वे लागू नहीं
1(घ)	राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र	(कोयला, लिग्नाइट और गैसा गैस आधारित) ≥ 500 मे०वा० ≥ 50 मे०वा० (पेटकोक, डीजल और जलीय अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/गैस आधारित) < 500 मे०वा० (पेटकोक, डीजल और जलीय अन्य ईंधन) < 50 मे०वा० ≥ 5 मे०वा०	विशेष सर्वे लागू नहीं
1(ङ)	अणुविद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	लोह संसाधनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/ वार्षिक क्षमता का उत्पादन	< 1 मिलियन टन/ वार्षिक क्षमता का उत्पादन	सर्वेक्षण सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण और सर्वेक्षण

उद्योग		मन्त वेरने की क्षमता $\geq$ 5000 एन.डी.ए.	समाधान शक्ति लागू होगी
5(ब)	चीनी उद्योग		
5(द)	प्रेषण/आर्क नदी/कुबोला नदी 5 एन.डी.ए. की क्षमता	सभी परिवर्तन	समाधान शक्ति लागू होगी
शेता रोड			
6(क)	वाणिज्य उद्योगों/ अवधारणों/ प्रवाल भित्तियों/ एन.डी.ए. की दमिन्त सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से मुक्त होने वाली क्षेत्र और सैल पारिवहन वाहन लाइन्स (अपडेटेड और परिवर्तनीय /पेट्रो एसायन उत्पाद)	सभी परिवर्तन	
6(ख)	एकल गैरारक्षण और परिवर्तनीय एसायन को समावेश (एन.डी.ए. की क्षमता नियम, 1988 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के संशोधन 3 में उपरोक्त अवस्थिति को जमा परिवर्तन के अनुसार)	सभी परिवर्तन	समाधान शक्ति लागू होगी
पदोन्नति सेवाओं सहित सीमित अवसरिता			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परिवर्तन	
7(ख)	सभी पोत मजदूर आई जिसमें पोत मजदूर इकाई से सम्बंधित है	सभी परिवर्तन	
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्वात प्रसंकरण योजना (वि.प्र.जी.) विशेष आर्थिक योजना (वि.आ.जी.) और प्रौद्योगिकी पार्क समझौता परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संयंत्र में यदि एक ही उद्योग क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को क्षेत्रों के ही समझा जाएगा तब वही क्षेत्रों की क्षेत्रों में हो 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संयंत्रों और जिनमें कम से कम एक क्षेत्रों के उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संयंत्रों और जिनमें कम से कम एक क्षेत्रों के उद्योग स्थित है और क्षेत्र 500 हेक्टेयर से औद्योगिक संयंत्रों क्षेत्र $>$ 500 हेक्टेयर और जिनमें क्षेत्रों के या स क्षेत्रों के कोई उद्योग नहीं है विशेष शर्त लागू होगी दिखाए 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संयंत्रों जिनमें कम से कम क्षेत्रों के कोई उद्योग नहीं है जो मजदूरों की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंयोजन अवधारण उपचार भंडारण और निपटारा सुविधाएं (उ.म.वि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें नदीकरण और मृदाभरण का क्षेत्र नदीकरण शामिल है	समाधान शक्ति लागू होगी

भाग 1-खण्ड 3(ग)

भवन का रखरखाव : असाधारण

15

7(ख)	पक्का, बंदरगाह	≥ 5 निर्यन्त्र रन वायुयान जोड़ने की क्षमता-संचार के अन्तर्गत (समस्त बंदरगाह से मिलने)	< 5 निर्यन्त्र रन वायुयान जोड़ने की क्षमता-संचार के अन्तर्गत (समस्त बंदरगाह से मिलने)	साधारण शर्त लागू होगी
7(घ)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि 6 मि.प्रमाण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राइडिंग सड़कें हैं	1) नए राज्य राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिकतम 20 मीटर से ज्यादा है	साधारण शर्त लागू होगी
7(ङ)	आवाराई काटे राजमार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	सामान्य सड़क सफाई योजना (स.स.स.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	नगरपालिकाओं और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (स.स.स.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8 भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण				
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं	≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र	≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र	8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की लागत अनुत्तर निर्धारित दिनांक आरंभ होगी।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं	≥ 50000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र	≥ 50000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र	8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की लागत अनुत्तर निर्धारित दिनांक आरंभ होगी।

नियम

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रधान "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रयोग "क" नाम का एक बड़े बड़े : (i) कचरा और (संसाधन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) एतकी रचना-समय पर निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई शर्तों के तहत से पहचान की गई है; (iii) पर्यावरणिक संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (iv) अंतरराष्ट्रीय शोषणों और अंतरराष्ट्रीय सौभाग्यों से बच फिलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से 31 अंशिक रूप में अवस्थित है।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई नव 4(घ), 4(ङ), 5(ख), 5(च) जैसे समग्रुप की प्रकार का उद्योग बला औद्योगिक संस्था/कंप्यूटेशन/निर्देशित प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जब प्रौद्योगिकी उद्योग/धमका परिवार का पूर्व निर्धारित गतिविधियों को छोड़कर (अवश्यक नहीं कि वे समग्रुप की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संस्थाओं/कंप्यूटेशनों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों कागति विधियों को तोड़ सकें पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कार्य/संस्था के लिए निर्धारित और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संस्था/कंप्यूटेशन) की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमत पुनर्निर्धारण करने के अधिकार/संस्थाओं से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिनके प्रदूषण/संस्था के शरीर जीवन में उद्योगों अतिरिक्त के लिए उत्तरदायी व्यवस्था का संकेत)।

[सं. अ-110.3/56/2004-आई.आई.टी.]
आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव